न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आई.ए.एस

अपील संख्याः 54/2024 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2024/58

1. अजयपाल पुत्र राधाकृष्ण उर्फ देवकी नंदन जाति ब्राह्मण निवासी गली नंबर 7, चक 7 जैड, गुरू तेगबहादुर नगर, श्रीगंगानगर।
2. धीरेन्द्र कुमार पुत्र राधाकृष्ण उर्फ देवकी नंदन जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नंबर 18, पावन धाम मंदिर के पास, सद्भावना नगर रोड़, श्रीगंगानगर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. वंदना गौड़ पत्नी राहुल शर्मा पुत्री कलावती शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नंबर 51, पूजा कॉलोनी, श्रीगंगानगर।
2. सुभद्रा पुत्री राधाकृष्ण उर्फ देवकी नंदन पत्नी कृष्ण कुमार इन्दोरिया जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नंबर 20, भादरा, जिला हनुमानगढ़।
3. सुन्दर पत्नी महावीर प्रसाद शर्मा पुत्री राधाकृष्ण उर्फ देवकी नंदन जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नंबर 2, खीचड़ान बास, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
4. रज्जो उर्फ संतोष पत्नी हीरालाल इन्दोरिया पुत्री राधाकृष्ण उर्फ देवकी नंदन जाति ब्राह्मण निवासी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास, वार्ड नंबर 2, फेफाना, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. नीलम पत्नी दयाराम शर्मा पुत्री राधाकृष्ण उर्फ देवकी नंदन जाति ब्राह्मण निवासी गली नंबर 22, वार्ड नंबर 26, हनुमानगढ़ टाऊन।
6. अन्नपूर्णा (फौत) पत्नी गोविन्दराम पुत्री राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्दन

   6/1 धनंजय शर्मा पुत्र गोविन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नंबर 5, कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास, अथूणा बास, उदयरामसर, बीकानेर।

   6/2 गोविन्द शर्मा पुत्र बृजलाल पुरोहित जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नंबर 5, कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास, अथूणा बास, उदयरामसर, बीकानेर।
7. विक्रम शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी 48, मधुबन कॉलोनी, श्रीगंगानगर।
8. विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी 2 ई, 304 जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर।
9. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री गोरधन जाति ब्राह्मण निवासी 48, मधुबन कॉलोनी, श्रीगंगानगर। (फौत)
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः श्री सत्यपाल सहू — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री महावीर प्रसाद शर्मा, श्री मदन सुरोलिया — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1, 2 6/1, 6/2, 7 ता 9
श्री राजेश बैद — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3, 4
एकतरफा कार्यवाही — रेस्पोडेन्ट सं. 5

निर्णय

दिनांक 23.04.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 31.05.2024 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित कृषि भूमि वाके चक 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 28/38 के मुरब्बा नंबर 26 में 3.162 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व मुरब्बा नंबर 34 में 1.177 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि कुल 4.339 हैक्टेयर नहरी भूमि अपीलांट्स के पिता राधाकृष्ण उर्फ देवकीनंदन के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज थी। उक्त भूमि की पंजीकृत वसीयत अपीलांट्स के पिता ने अपीलांट्स के हक मे कर दी। अपीलांट्स के पिता वसीयतकर्ता राधाकृष्ण उर्फ देवकीनंदन का दिनांक 12.02.2006 को स्वर्गवास हो जाने पर अपीलांट्स ने तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2012 को पेश किया, जिस पर तहसीलदार श्रीगंगानगर ने निर्णय दिनांक 20.09.2012 पारित करते हुए इंतकाल दर्ज करने के आदेश दे दिये। तहसीलदार श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 20.09.2012 के विरूद्ध रेस्पोडेंट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2024 पारित कर उक्त अपील को रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2024 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील पेश की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित भूमि अपीलांट्स के पिता राधाकृष्ण उर्फ देवकीनंदन के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि है। वादगत भूमि अपीलांट्स के पिता की क्रयशुदा स्वअर्जित भूमि है। उक्त भूमि की अपीलांट्स के पिता ने एक वसीयत दिनांक 07.04.1995 रजिस्टर्ड करवाकर अपीलांट्स के पक्ष में कर दी। वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 12.02.2006 को हो गई थी। तत्पश्चात् तहसीलदार श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 20.09.2012 की पालना में वादगत भूमि का अपीलांट्स के नाम इंतकाल दर्ज हो गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 20.09.2012 समस्त पक्षकारों की उपस्थित में पारित आदेश होने व विवादास्पद आदेश की श्रेणी में होने के कारण राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अंतर्गत पारित आदेश था,

जिसके विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं होंने के कारण अपील में प्राथमिक आपति पेश किये जाने पर उक्त आपति पर बहस सुनी गई, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक आपत्ति एवं मियाद बिन्दु पर निर्णय किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिविरूद्ध है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा उक्त प्रकरण में जायज वारिसान के बयान एवं शपथ–पत्र संलग्न पत्रावली किये हैं जिसमें मुताबिक वसीयत इंतकाल दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण बाद जारी सार्वजनिक सूचना दैनिक सीमा संदेश दिनांक 04.08.2012 को प्रकाशित कर आदेश पारित किया, जिसे बिना सुनवाई, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक आपत्ति के जवाब में वसीयत कूटरचित होना दर्ज कर अपीलांट्स के अलावा किसी पक्ष को सुना नहीं जाना अंकित किया है जबकि तहसीलदार श्रीगंगानगर की पत्रावली में सभी वारिसान के शपथ पत्र संलग्न पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर जांच रिपोर्ट में भिन्न पाये जाने के आधार पर आदेश पारित किया है जबकि उक्त शपथ पत्र केवल रेस्पोडेन्ट सं. 1 अकेली का नहीं होकर उसके भाई रेस्पोडेन्ट सं. 7 व 8 का संयुक्त शपथ पत्र है, जो स्वयं रेस्पोडेन्ट सं. 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 स्वयं भी एडवोकेट है इसलिए यह संभव नहीं कि उसके भाई या पहचानकर्ता एडवोकेट उन्हें नही जानते है। जानबूझकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 स्वयं द्वारा फर्जी शपथ पत्र तैयार करवाया गया है, जिस पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2024 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं:–

- आर.आर.डी. 1997 पेज सं. 127
- आर.आर.टी. 2016(1) पेज सं. 726
- आर.आर.टी. 2019(1) पेज सं. 432 S.C.
- आर.आर.टी. 2017(1) पेज सं. 117, 711 H.C.
- आर.आर.टी. 2018(2) पेज सं. 1026 R.B.
- आर.आर.टी. 2018–19 पेज सं. 424
- आर.आर.डी. 1961 पेज सं. 24
- आर.आर.टी. 2015(1) पेज सं. 232 H.C.
- आर.आर.टी. 2018(1)(2) पेज सं. 188 H.C., 1112 H.C
- आर.आर.टी. 2019(2) पेज सं. 1118, 1125 R.B.

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1, 2, 6/1, 6/2, 7 ता 9 ने दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार के समक्ष इंतकाल दर्ज करवाने की कार्यवाही के दौरान अपीलांट ने जानबूझकर राधाकृष्ण उर्फ देवकीनंदन के किसी वारिस को नोटिस जारी नहीं किये। अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 की माता कलावती की मृत्यु की जानकारी हो जाने के बावजूद उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया व न

ही सुनवाई का कोई अवसर दिया। अपीलांट ने मिलीभगत करके रेस्पोडेंट सं. 1 वन्दना गौड़ के फर्जी हस्ताक्षर का शपथ–पत्रतहसीलदार के समक्ष पेश किया, जिसके संबंध में एफ.एस.एल. जोधपुर की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट सं. 1 वन्दना गौड़ के फर्जी हस्ताक्षर का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके गलत आदेश प्राप्त किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने सही खारिज किया है। अपीलाधीन भूमि की वसीयत का अधिकार वसीयतकर्ता को प्राप्त ही नहीं है क्योंकि उक्त भूमि वसीयतकर्ता को विरासत में प्राप्त हुई हैं। इंतकाल संख्या 28 में यह स्पष्ट अंकित है कि इसका विवरण जमावन्दी सं. 2001 में दर्ज है। राधाकृष्ण उर्फ देवकीनंदन के पिता रिछपाल के फौत हो जाने पर उक्त इंतकाल विरासतन दर्ज हुआ है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2024 यथावत रखा जावे।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3, 4 ने दौराने बहस उपस्थित होकर अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस के समर्थन में अपनी अनापत्ति व्यक्त की।

5– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, न्यायिक दृष्टांत व प्रपत्र 3 के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2024 पारित कर तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.09.2012 को निरस्त करते हुए प्रकरण को उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश सभी पक्षकारों को सुनकर एवं समस्त तथ्यों की पूर्ण जांच कर विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2024 यथावत रखा जाता है।

5– तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर